प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित कीगई उ0नि0 रामकिशन यादव मय हमराह हे0का0 रामकरन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0नं0 **3757/19** धारा **354/452/506** भादवि व अ0सं0 88/18 व मु0नं0 2093/20 अ0सं0 225/19 धारा 13 जी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः1. रामबाबू पुत्र दुर्गा प्रसाद अहिरवार उम्र 36 वर्ष नि0मु0 विशालनगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा व 2.सियाराम पुत्र दुलारे प्रजापति उम्र 48 वर्ष नि0 बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा को क्रमशः मोहल्ला विशाल नगर व ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरान्त सम्बन्धित अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2.हे0कां0 रामकरन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामबाबू पुत्र दुर्गा प्रसाद अहिरवार उम्र 36 वर्ष नि0मु0 विशालनगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

2.सियाराम पुत्र दुलारे प्रजापति उम्र 48 वर्ष नि0 बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तारी का स्थान-

मु0 विशाल नगर कस्वा कबरई व ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, हेल्पडेस्क व थाना परिसर का भ्रमण कर थाना हाजा में कराये गए विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत समस्त अभिलेखों को अद्यतन रखे जाने तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अक्षुण्य बनाए रखने हेतु सम्बन्धित को दिए आवश्यक निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आज दिनांक 16.03.2024 को थाना कुलपहाड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, मैस, बैरक, हवालात इत्यादि को चेक करने के साथ-साथ थाने के शस्त्रागार तथा थाना कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों सहित त्यौहार रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, अपराध रजिस्टर इत्यादि का बारीकी से निरीक्षण किया गया इस दौरान समस्त अभिलेखों को अप-टू-डेट किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण किया गया जिसमें उन्होने थाना कुलपहाड़ में कराये गये विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यों (पुलिस बैरक, मेस/भोजनालय, कार्यालय, सभागार इत्यादि) का भी निरीक्षण कर गुणवत्ता को परखते हुए सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु थाना स्तर पर की गयी कार्यवाहियों/तैयारियों की समीक्षा करते हुये सम्बन्धित को निर्देशित किया कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस गश्त की नियमित क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये विवाद से सम्बंधित किसी भी घटना को अत्यंत गम्भीरतापूर्वक लेते हुये त्वरित कार्यवाही की जाये। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अक्षुण्य बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को दिए गये आवश्यक निर्देश।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र सहित थाना कुलपहाड़ के अन्य अधि./कर्म. मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया जा रहा महिला जागरूकता/सशक्तिकरण अभियान-

बेटियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना ही मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं / बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरुक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से "मिशन शक्ति" अभियान के तहत आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों/बीटों/स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओ/बलिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया । वर्तमान समय मे हो रहे विभिन्न तरीकों के साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गयी । साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अपने आस-पास के लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरुक करें और उन्हें बतायें कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 1930/112 पर दें जिससें समय रहते ही तत्काल अग्रिम कार्रवाई की जा सके ।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने चोरी के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुभाष सिंह चौहान मय हमराह का0 सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ क्षेत्र में चोरी के प्रकरण में पंजीकृत हुए मु0अ0सं0 47/24 धारा 380 /411 भादवि से संबंधित अभियुक्त भूपेन्द्र यादव पुत्र कमल सिंह यादव उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम पचखुरा थाना जरिया जिला हमीरपुर उ0प्र0 को ग्राम टिकरिया जाने वाले रास्ते के पास स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास से मुखबिर की सूचना पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभि0 भूपेन्द्र यादव उपरोक्त के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किया गया माल 01 अदद अंगूठी पीली धातु व एक अदद पर्स (चाकलेटी कलर) जिसमे 02 अदद आधार कार्ड व 1500 रुपये नगद बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 सुभाष सिंह चौहान
2. का0 सौरभ सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

भूपेन्द्र यादव पुत्र कमल सिंह यादव उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम पचखुरा थाना जरिया जिला हमीरपुर उ0प्र0

बरामदगी –

चोरी किया गया माल 01 अदद अंगूठी पीली धातु व एक अदद पर्स(चाकलेटी कलर) जिसमे 02 अदद आधार कार्ड व 1500 रुपये नगद।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री भास्कर मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा उ0नि0 शेरे आलम खां मय हमराह का0 अजय कुमार के नेतृत्व में गठित की गई पुलिस टीम ने अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त शिवम रैकवार पुत्र जयपाल रैकवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को घटना स्थल सिरमौर मोड़ बस स्टाप के पास बहद ग्राम बम्हौरी खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से मय बरामदशुदा 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 101/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शिवम रैकवार पुत्र जयपाल रैकवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 शेरे आलम खां
2. का0 अजय कुमार

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 08 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्धेश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा के द्वारा गठित की गई उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर ताश-पत्तो के माध्यम से हारजीत की बाजी लगा जुंआ खेल रहे 08 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.रमेश पुत्र घनश्याम राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी जड़ाधर थाना मझगवा जिला हमीरपुर 2.बद्रीप्रसाद पुत्र जवाहर लाल उम्र 55 वर्ष नि0मु0 शुक्लानापुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा 3.रज्जू उर्फ राजकुमार साहू पुत्र बाबूलाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी कस्बाथाई थाना कोतवाली जनपद महोबा 4.अवधेश पुत्र डिब्बू उम्र 32 वर्ष निवासी नवीन गल्ला मंडी के सामने गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा 5.दुर्गेश शिवहरे पुत्र कालीचरन शिवहरे उम्र 25 वर्ष निवासी जारीगंज थाना कोतवाली जनपद महोबा 6.छत्रसाल यादव पुत्र रंधीर सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी चड़रा थाना सिमरिया जिला पन्ना म0प्र0 7.गोलू उर्फ जमुना प्रसाद पुत्र राधाचरण कुशवाहा उम्र 25 वर्ष निवासी न्यूसिटी थाना कोतवाली जनपद महोबा 8.प्रदीप तिवारी पुत्र राजाभइया तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी गढ़ीमलहरा थाना गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर म0प्र0 को पुलिस हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे मालफड 11850/- रूपया व जामातलाशी 2640/- रूपया व 52 अदद ताश पत्ता बरामद करते हुये नवीनगल्ला मंडी के अंदर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 124/2024 धारा 13 जुँआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. का0 दीपेश कुमार
3. का0 करमवीर
4. का0 महिताप सिंह
5. का0 प्रवीण कुमार
6. का0 मुकेश

मुकदमाती मालों के निस्तारण के उपरान्त आग के हवाले किये गये मादक पदार्थः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन पर आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस लाइन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 05 मुकदमाती मादक पदार्थ मालों का नियमानुसार विनिष्टिकरण किया गया, जिसमे कुल 11.400 किलो गांजा का विनिष्टिकरण करते हुये मुकदमाती मादक पदार्थ को आग के हवाले किया गया।

उक्त विनिष्टीकरण की प्रक्रिया (जिलास्तरीय डिस्पोजल समिति) के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री राजेश कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी श्री के.पी. सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री मनोज शुक्ल सहित अन्य संबंधित प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के कुशल निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्मय के पर्यवेक्षण मे एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब / जुआ अभियान **/** मफरुर अभि0गणो की गिरफ्तारी में कबरई पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जब थाना प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री रामेन्द्र कुमार गौतम मय हमराह हे0कां0 रामकरन सिंह ,कां0 अंकुश पाल , कां0 सुनील कुमार के द्वारा आज दिनांक 16.03.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर रुपये से जुआ खेल रहे अभियुक्तगण **1.** मानवेन्द्र पालीवाल पुत्र मुन्शीराम उम्र 38 वर्ष**, 2.** हसनखान पुत्र जुम्मन उम्र 24 वर्ष**, 3.** विक्रम सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 25 वर्ष, 4. संजय खंगार पुत्र देवीदीन उम्र 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा को गोविन्द अहिरवार का चबूतरा बहद ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा व फासला करीब **06** किमी दक्षिण पश्चिम से गिरफ्तार किया गया। जिनके जामा तलाशी से 810 रुपये, माल फड 5290 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 71/24 धारा 13 जी एक्ट बनाम 1. मानवेन्द्र पालीवाल पुत्र मुन्शीराम उम्र 38 वर्ष आदि 04 नफर अभियुक्तगणो के विरुद्ध पंजीकृत किया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आय़ोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्तगणो को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रामेन्द्र कुमार गौतम
2. हे0कां0 रामकरन सिंह
3. कां0 अंकुश पाल
4. कां0 सुनील कुमार

गिफ्तारी का स्थानः-

गोविन्द अहिरवार का चबूतरा बहद ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा व फासला करीब **06** किमी दक्षिण पश्चिम

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मानवेन्द्र पालीवाल पुत्र मुन्शीराम उम्र 38 वर्ष**, 2.** हसनखान पुत्र जुम्मन उम्र 24 वर्ष**, 3.** विक्रम सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 25 वर्ष, 4. संजय खंगार पुत्र देवीदीन उम्र 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

माल फड़ - 5290 रुपये, जामा तलाशी के - 810 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा गुमशुदा बालक को बरामद कर सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द । गौरतलब हो कि दिनांक 12.03.2024 को सोनू अहिरवार पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र करीब 14 वर्ष निवासी ग्राम डढ़हतमाफ थाना कोतवाली नगर महोबा स्कूल जाते समय कही चला गया था जिसके सम्बन्ध में परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पा रहा था । उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक 16.03.24 को परिजनों द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पर सूचना दी गयी।

उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये थानास्तर पर टीमें गठित कर तत्परता से बस स्टैण्ड, कोचिंग सेटन्टर, रेलवे स्टेशन, मुहल्लों,ढाबों, गांव व आस पास के लोगों से पूछताछ करते हुए 06 घण्टे के भीतर किशोर को सकुशल बरामद कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया । पुलिस द्वारा किशोर को समझाया गया कि भविष्य में इस तरह किसी भी बात से नाराज होकर घर छोड़ने का विचार मन में ना लाये । किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, पुलिस हर सम्भव मदद करेगीं । परिजनों द्वारा पुलिस के सहयोग की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को धन्यवाद किया ।

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर महोबा

2.उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा चौकी इन्चार्ज पसवारा

3.उ0नि0 महेश सिंह

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गयी

पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ सार्वजनिक स्थानों/प्रतिष्ठानों पर लगे पोस्टर, बैनर/होर्डिंग्स व वाल पेंटिग को हटवाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16.03.2024 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों/मुख्य मार्गो/चौराहों तथा सर्राफा बाजार आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल गस्त कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा सर्राफा व्यापरियों से वार्ता कर उनको सुरक्षा व सतर्कता के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में 153 वाहनों के ई-चालान किये गये।

आदर्श आचार संहिता के लगने के तुरन्त बाद पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में गठित एफ0एस0टी0 एवं एस0एस0टी0 टीमों को तत्काल रुप से क्रियाशील कर दिया गया है। समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त थाना प्रभारी अपनी-अपनी टीमों के साथ अपने-अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों/प्रतिष्ठानों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन में लगे पोस्टर, बैनर व वाल पेंटिग को हटवाया जा रहा है तथा आमजनमानस को आदर्श आचार संहिता के अक्षरशः अनुपालन हेतु जागरुक किया जा रहा है।